न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/449

मिसल नम्बर–117/2024

1.बंशीलाल आत्मज भैरूपुरी उम्र 64 वर्ष
2.सूरजमल पुत्र भैरूपुरी उम्र 75 वर्ष
3.रेखा पुत्री नारायण उर्फ रामनारायण उम्र 32 वर्ष
4.रमेश पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण उम्र 44 वर्ष
5.रानी पुत्री नारायण उर्फ रामनारायण उम्र 26 वर्ष
6.लक्ष्मी पुत्री नारायण उर्फ रामनारायण उम्र 34 वर्ष
7.शिवराज पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण उम्र 36 वर्ष निवासीगण बीलखेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी मकान नं0 116 चाणक्यापुरी योजना कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री भगवती बल्लभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता व प्रार्थी क्रम 3 लगायत 7 के दादा स्वर्गीय भैरूपुरी पुत्र स्व. श्री छोटू पुरी के खाते काश्त की आराजी वाके ग्राम डडवाडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मे स्थित थी तथा भैरूपूरी जी की मृत्यु के बाद उनके तीनो पुत्रो क्रमशः बंशीलाल प्रार्थी क्रम–1, सूरजमल प्रार्थी क्रम–2 तथा नारायण उर्फ रामनारायण प्रार्थी क्रम–3 लगायत 7 के पिता द्वारा आपस में सहमति से बंटवारा कर लिया था तथा मृतक भैरूपुरी जी की कृषि आराजी प्रार्थीगणो के अलग–अलग खाते मे दर्ज हो गयी। प्रार्थी क्रम–1 के हिस्से में कृषि आराजी खाता संख्या नया 199, पुराना 72 की भूमि खसरा नम्बर 558/487 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 561/493 रकबा 0.050 हैक्टर कुल 2 किता की 0.36 हैक्टर भूमि वाके ग्राम डडवाड़ा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा है। प्रार्थी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2 के हिस्से में खाता संख्या नया 198 पुराना 72 की खसरा नम्बर 559/487 रकबा 0.31 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 562/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.36 हैक्टर भूमि वाके ग्राम डडवाडा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा है। प्रार्थी क्रम 3 लगायत 7 के हिस्से में खाता संख्या नया 197 पुराना 72 की खसरा नम्बर 560/487 रकबा 0.32 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 563/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.37 हैक्टर भूमि वाके ग्राम डडवाडा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा है। बाद बंटवारा प्रार्थीगण अपने आपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आकर खेती कर रहे है। प्रार्थीगण अपने खेत तक पहुचने के लिये एवं कृषि संयत्रो को लाने ले जाने के लिये अपने खेत के पूरब दिशा की ओर से गुजर रहे मुख्य रास्ते का निर्वाध एवं निरन्तर उपयोग उपभोग मे ले रहा है तथा मुख्य रास्ते तक आने के लिये वादी अपने खेत के सहारे की सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 488 एवं 490 का इस्तेमाल कर रहे है। जिसमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा कभी नहीं की गई है तथा खसरा नम्बर 488 एवं 490 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण के पास अपने खेत पर पहुँचने का नहीं है। खसरा नम्बर 488 एवं 490 सरकारी सिवायचक आराजी है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में मुख्य सडक तक पहुँचते है परन्तु खसरा नम्बर 372 जो कि खसरा नम्बर 488 एवं 490 के उत्तर दिशा मे है का खातेदार लगातार प्रार्थीगणो को उनके खेत पर पहुचने व आने जाने में अवरोध उत्पन्न करता है जिसका की उसे कोई अधिकार नही है तथा उक्त खसरा नम्बर 488 एवं 490 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण के पास नहीं है जिससे कि वह अपने खेत तक पहुच सके तथा कृषि संयत्रो को अपने खेत तक पहुचा सके तथा खेत से आम रास्ते मुख्य सडक तक पहुच सके। खसरा नम्बर 372 के खातेदार द्वारा यत्रतत्र प्रार्थीगणो के मार्ग को अवरूद्ध करता रहता है, जिससे प्रार्थीगण का अपने खेत पर पहुचने का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है तथा इस कारण से प्रार्थी को अपनी खाते की कृषि आराजी पर पंहुचने एवं कृषि व्यवस्था करने मे तथा कृषि कार्य मे उपयोग उपभोग मे आने वाले संयत्रो को लाने ले जाने का रास्ता बन्द हो जाता है तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी का अपने खेत पर नहीं पंहुच पाते है, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी को शिकायत दी तब हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 372 के खातेदार को समझाया तो उसके द्वारा मार्ग से अतिक्रमण हटा लिया, परन्तु प्रार्थीगणो को यह अंदेशा है कि खसरा नम्बर 372 का खातेदार पुनः प्रार्थीगणो के खेत पर आने जाने के रास्ते को जो कि खसरा नम्बर 488 एवं 490 में होकर गुजरता है को पुनः अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर सकता है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 372 के खातेदार द्वारा रास्ते को अवरूद्ध करने के कारण प्रार्थीगण अपने खेत पर जाने के लिए एवं खेती करने से महरूम हो जाते है तथा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी तक नहीं पहुच पाते है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुचने हेतु मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा वर्तमान समय व परिस्थिति में प्रार्थीगण को नया रास्ता खसरा नम्बर 488 एवं 490 सिवायचक रकबे मे से दिया जाना सदभाविक रूप से कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। खसरा नम्बर 488 एवं 490 जो कि सरकारी सिवाईचक भूमि है, जिसका अप्रार्थी उक्त भूमि का लैण्डहॉल्डर है इस कारण से किसी अन्य खातेदार को किसी प्रकार की कोई क्षति भी कारित नही होगी तथा प्रार्थीगण अपने खेतो मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 488 एवं 490 राज्य सरकार की कृषि आराजी होने के कारण उक्त आराजी मे से जो रास्ता प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दिया जावेगा उस कृषि आराजी की राज्य सरकार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को हो रही क्षति एवं सरकारी भूमि मे हुयी कमी की क्षतिपूर्ति नियमानुसार राजकोष मे जमा करवाने हेतु तैयार, तत्पर एवं सहमत है। प्रार्थी के खेतो में कृषि कार्य हेतु आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अन्य जगह से नही है कृषि उपकरणो के लिए रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है काश्तकारो को कृषि कार्य प्रार्थीगण नियमानुसार अप्रार्थीगणो के खेत मे से कम हुयी भूमि की क्षतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक नियमानुसार राशि जमा राजकोष मे जमा कराने को सहमति देता है तथा स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खाता संख्या नया 199, पुराना 72 की भूमि खसरा नम्बर 558/487 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 561/493 रकबा 0.050 हैक्टर कुल 2 किता की 0.36 हैक्टर भूमि तथा खाता संख्या नया 198 पुराना 72 की खसरा नम्बर 559/487 रकबा 0.31 हैक्टर एव खसरा नम्बर 562/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.36 हैक्टर भूमि तथा खाता सख्या नया 197 पुराना 72 की खसरा नम्बर 560/487 रकबा 0.32 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 63/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.37 हैक्टर भूमि वाके ग्राम डडवाडा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से पहुंचने के लिए नवीन रास्ता जो कि अप्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 488 एवं 490 मे से 30 फुट चौडा नवीन रास्ता मुख्य सड़क तक देने के आदेश प्रदान करते हुए उक्त रास्ते की तरमीम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करे, इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार व तत्पर है। अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 के अनुसार रास्ते बाबत तहसील से रिपोर्ट उभयपक्षकारान की मौजूदगी में गिरदावर से तैयार कर मंगवाई गई, जिसमें तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा 371 सिवायचक जो वर्तमान में रास्ते के रूप में काम लिया जाता है से होते हुये अपने खेतों तक आते जाते है जो वर्तमान में मौके पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के काम आता है। ख0नं0 490 में रास्ते में लम्बाई 165 मीटर एवं ख0नं0 488 में 80 मीटर लम्बा रास्ता (पगडण्डी) बनी हुई है। जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है।

प्रार्थीपक्ष द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित प्रार्थना पत्र एवं तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं है, किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर प्रार्थीगण को पटवार हल्का भंवरिया के ग्राम डडवाडा में स्थित अपनी निजी खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 199, पुराना 72 की भूमि खसरा नम्बर 558/487 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 561/493 रकबा 0.050 हैक्टर कुल 2 किता की 0.36 हैक्टर भूमि तथा खाता संख्या नया 198 पुराना 72 की खसरा नम्बर 559/487 रकबा 0.31 हैक्टर एव खसरा नम्बर 562/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.36 हैक्टर भूमि तथा खाता सख्या नया 197 पुराना 72 की खसरा नम्बर 560/487 रकबा 0.32 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 63/493 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 2 किता की कुल रकबा 0.37 हैक्टर में कृषि कार्य वास्ते आने–जाने हेतु ख0नं0 490 में लम्बाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर एवं ख0नं0 488 में लम्बाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 5

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मीटर भूमि नए रास्ते के रूप में दी जाती है तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रदान किए गए रास्ते की भूमि के रकबे की गणना कर डीएलसी दर प्रति बीघा के दोगुना अनुसार तय राशि का भुगतान प्रार्थीगण से कर राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद करते हुये नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को...